राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
74/23	08.12.23	10.12.24

बउनवान

1. रामकुवार पुत्र भूदेव निवासी पाखर चौडाकी तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)

..प्रार्थी

बनाम

1. जगमाल पुत्र भूदेव निवासी पाखर–1 तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)।
2. रामकिशन पुत्र भूदेव निवासी पाखर–1 तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)।
3. रामदयाल पुत्र भूदेव निवासी पाखर–1 तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)।
4. गोपाल पुत्र भम्बल निवासी पाखर–1 तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)।
5. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।
6. उप पंजीयक मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री भुवनेश त्रिवेदी, ।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 से 3 – श्री ओ.पी.कुंडारा।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि (विवादित आराजीयात) खाता सं.347 के खसरा सं. 121,122,123,143,149 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 हैक्टे. एवं खाता सं.348 के खसरा सं. 114 से 120, 124 से 126, 128 से 142, 144 से 148, 150,154, 87 से 90 कुल किता 36 कुल रकबा 9.44 हैक्टे. समस्त स्थित ग्राम पाखर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा (राज.) में स्थित है। विवादित भूमि खाता सं. 347 में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 व 348 में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है तथा खाता सं. 347 में अप्रार्थी गोपाल का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी जगमाल का 7/36 हिस्सा, अप्रार्थी रामकिशन का 7/36 हिस्सा, अप्रार्थी रामदयाल का 7/36 हिस्सा है एवं खाता सं. 348 में अप्रार्थी गोपाल का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी जगमाल का 7/36 हिस्सा, अप्रार्थी रामकिशन का 7/36 हिस्सा, अप्रार्थी रामदयाल का 7/36 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। सरकार को राज लगान अदा कर काश्त करते चले आ रहे हैं। खातेदार काश्तकार है, बंटवारा नहीं कर रखा है, मनबट से काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु अब अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 काश्त नहीं करने दे रहे हैं, खेतों जाने के रास्ते को रोकते है, मन चाहे नम्बरों को स्वयं बोते हैं। सडक के पास वाली भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

स्वयं कब्जा जमा रहे हैं, निकलने भी नहीं दे रहे हैं इसलिये न्यायहित में बंटवारा कराया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 प्रार्थी के सगे भाई के लडके हैं जो प्रार्थी को आये दिन तंग परेशान करते हैं। अप्रार्थीगण ट्रैक्टरों को रोक देते है, पुलिस थाना मण्डावर में उक्त भूमि से सम्बन्धित 02 एफआईआर दर्ज हुई। प्रार्थी के कब्जे के खेत में अप्रार्थीगण जबरदस्ती ट्रान्सफार्मर लगा रहे थे तो प्रार्थी ने मना किया तो प्रार्थी के साथ गम्भीर मारपीट की जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज एफआईआर थाना मण्डावर जिला दौसा में अप्रार्थीगण तकरीबन एक माह तक जेल में रहे व आते ही उन्हें खेत नहीं जोतने बोने दिये। उसकी पुनः थाना मण्डावर में एफआईआर दर्ज करायी है। प्रार्थी अपने खेत में सरसों बोने दिनांक 15.10.23 को गया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि सरसों नहीं बोने देगे, सडक के पास वाली भूमि पर हम कब्जा करेगें, तुम्हें पीछे जमीन देगें व पीछे जाने के लिये रास्ता भी नहीं देगें। इसलिये प्रार्थी बिना बंटवारा कराये शान्तिपूर्वक काश्त नहीं कर सकता है और प्रार्थी को जमीन भी नहीं बोने दी। इसलिये निवेदन है कि अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि एक तरफ दिलायी जावे। प्रार्थी इनके बीच में आ गया तो फिर ये लोग प्रार्थी को परेशान करेगें, फसल को उजाड देगें। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस पूर्णतया साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। दौराने दावा अप्रार्थीगण को पाबन्द करने से उन्हें कोई हानि होने की संभावना नहीं है जबकि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं करने से प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति उन्हें किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं होगी। लिहाजा अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वादपत्र इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी की मौका ताफैसला दावा अप्रार्थीगण रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे व प्रार्थीके कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से अभिभाषक ने जबाव प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पाखर में आराजी स्थित होना तथा 24–25 वर्षों पूर्व बंटवारा शुदा एवं मौके पर अलग अलग कब्जा काश्त होना स्वीकार है। आराजीयात की खातेदारी होना एवं हिस्सा होना स्वीकार है परन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जा काश्त होना एवं संयुक्त राज लगान अदा करना अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि बंटवारा नहीं कर रखा है, मनबट से काश्त करते चले आ रहे हैं, अप्रार्थीगण सं.1 लगायत 4 काश्त नहीं करने दे रहे हैं, खेतों के रास्ते को रोकते हैं, मन चाहे नम्बरों को स्वयं बोतें हैं, सडक के पास वाली भूमि स्वयं केवल अप्रार्थीगण कब्जा करके बैठे हैं जबकि सत्य यह है कि उक्त आराजीयात सन 1999 से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता भूदेव ने बहिस्सा बंटवारा कर कब्जे में सुपुर्द की थी। उसी अनुसार प्रार्थी स्वयं का खसरा सं. 134 रकबा 0.36 हैक्टयर के 1/2 हिस्सा यानि 0.18 हैक्टे. पर 100 फुट रोड साईड में बाउण्ड्रीवाल करके पुख्ता मकान रिहायश किये है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 का कब्जा व इम्प्रूवमेण्ट मौके पर चला आ रहा है। खुलासा उज्जात मजीद में दर्ज है। प्रार्थना पत्र हाईड एण्ड सीक की पॉलिसी पर आधारित होने

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 वादी के सगे भाई के लडके है, वे प्रार्थी को आये दिन तंग व परेशान करते है, खेतों पर नहीं पहुंचने देते हैं, रास्ता रोक अधिक भूमि पर कब्जा करते हैं। अप्रार्थी सं. 1 जगमाल ने आज से 13 वर्ष पूर्व थ्री फेज विद्युत कृषि कनेक्शन हेतु फाईल लगाई थी जिसका डिमाण्ड नोटिस आने पर उसने दिनांक 16.11.2022 को पैसा जमा कराया जिस पर विद्युत कर्मचारी लाईट पोल गाडते हुये लाये केवल डी.पी. के पोल अप्रार्थी सं. 1 के घर की बाउण्ड्री के सटवा खसरा सं. 147 जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है पर खड़े कर रहे थे तो प्रार्थी व उसके घर वालों ने रामकिशन आदि के साथ मारपीट की जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 201/2023 दिनांक 10.07.23 को प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध दर्ज कराई जिसमें उसका व उसकी पत्नि का चालान न्यायालय में पेश किया गया है, अन्य के विरूद्ध चाराजोई की जा रही है। लाईट के पोल अभी भी मौके पर खसरा सं. 147 में रखे हुये है तथा अप्रार्थी सं. 1 का पूडा, पटटी, लकडी, बडीता छान झोपडी भैंस बांधने के खूटा आदि मौके पर मौजूद है। लिहाजा प्रार्थना पत्र हर आईने में खारिज होने योग्य है। दिनांक 15.10.23 को कोई विवाद व घटना नहीं हुई, प्रार्थी ने महज प्रार्थना पत्र पेश करने की पेशबन्दी हेतु बसलाह कानूनी हैरान व परेशान किया है। सहखातेदारी की आराजी पर सभी का प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन बहिस्सा बराबर होता है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की आड में मुकदमों की बाहुल्यता में अप्रार्थीगण को डाल कर बर्बाद करने पर आमादा है।

इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण के द्वारा उज्रात मजीद में उल्लिखित किया कि प्रार्थना प्रार्थी डर्टी हैण्ड होने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थी रामकुवार दत्तक पुत्र किशनलाल है जिसके दत्तक से ग्राम दल्लापुरा की आराजी खातेदारी मौजूद है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी हाइड एवं सीक की पॉलिसी पर आधारित होने के कारण खारिज होने योग्य है। आराजी वादग्रस्त का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवन काल में वर्ष 1999 में यानि 24–25 वर्ष पूर्व हिस्सानुसार बहामी तकास्मा कर हिस्सानुसार आराजी पर कब्जा काश्त करा दिया था। तभी से मौके पर ऐसे ही बंटवारा में आई कृषि भूमि के अपना–अपना हिस्सा में इम्प्रूवमेण्ट पुख्ता निर्माण मकान व बोरिंग अपनी अपनी तन्हा लाखों रूपये की लाग से कराये हुये मौके पर मौजूद है। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण कब्जा इस प्रकार है कि **प्रार्थी रामकुंवार** का खसरा सं. 121 रकबा 0.28 है., खसरा सं. 116 रकबा 0.67 हैक्टे. में से 0.33 हैक्टे. भूमि, खसरा सं. 120 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा सं. 131 रकबा 0.45 हैक्टे. में से रकबा 0.11 हैक्टे. पीछे का हिस्सा (तथा रामदयाल अप्रार्थी न. 3 का रोड पर 0.34 हैक्टे. पर कब्जा काश्त है), खसरा सं. 134 रकबा 0.36 हैक्टे. (जो कि रोड पर है) का 1/2 हिस्सा यानि 0.18 हैक्टे. पर प्रार्थी ने रोड पर लगभग 100 फुट से अधिक चौडाई में पुख्ता डण्डा करके बोर काट कर मकान रिहायशी बना रखा है। इस तरह मौके पर 0.92 हैक्टे. भूमि उसके कब्जे काश्त में है। **अप्रार्थी सं. 1 जगमाल** का खसरा सं. 146 रकबा 0.23 हैक्टे., खसरा सं. 147 रकबा 0.04 हैक्टे. (रोड पर) पुख्ता मकान एवं बाउण्ड्रीवाल है जिसमें 20 फुट चौडाई में खसरा सं. 134 का भाग हैक्टे. एवं उससे सटवा खसरा सं. 148 रकबा 0.30 हैक्टे., खसरा सं. 144 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

01 हैक्टे. गै.मु. बोरिंग, खसरा सं. 149 रकबा 0.32 हैक्टे., खसरा सं. 150 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा सं. 143 रकबा 0.30 हैक्टे., खसरा सं. 115 रकबा 0.78 हैक्टे., कुल 02.14 हैक्टे. पर कब्जा काश्त है कुल भूमि में अप्रार्थी सं. 1 की भूमि हिस्सा अनुसार 02.15 हैक्टे. है। **अप्रार्थी सं. 2 रामकिशन** का खसरा सं. 145 रकबा 0.22 हैक्टे., खसरा सं. 118 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा सं. 119 रकबा 0.59 हैक्टे., खसरा सं. 132 रकबा 0.25 हैक्टे., (रोड पर) खसरा सं. 134 रकबा 0.36 हैक्टे. का 1/2 भाग यानि 0.18 हैक्टे., खसरा सं. 140 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा सं. 141 रकबा 0.06 हैक्टे. एवं खसरा सं. 87 रकबा 0.51 हैक्टे. का 1/3 हिस्सा यानि 0.17 हैक्टे. रकबा में पुख्ता मकान व बाउण्ड्रीवाल अप्रार्थीगण सं. 2 की मौजूद है तथा खसरा सं. 123 रकबा 0.50 हैक्टे. में से 0.22 हैक्टे. भूमि इस प्रकार कुल 02.15 हैक्टे. भूमि कब्जे काश्त में है। **अप्रार्थी सं. 3 रामदयाल** का खसरा सं. 122 रकबा 0.24 हैक्टे., खसरा सं. 124 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा सं. 125 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा सं. 128 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा सं. 129 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा सं. 139 रकबा 0.37 हैक्टे., खसरा सं. 131 रकबा 0.3375 हैक्टे., उक्त खसरा सं. 131 रोड पर है तथा अप्रार्थी सं. 3 ने बोरिंग कटा रखी है तथा खसरा सं. 87 रकबा 0.51 हैक्टे. का 2/3 भाग यानि रकबा 0.34 हैक्टे. पर अप्रार्थी सं. 3 एव अप्रार्थी सं. 2 का मकान व शेष भूमि पर अप्रार्थी सं. 2, अप्रार्थी सं. 3 की काश्त है तथा खसरा सं. 126 में से 0.14 हैक्टे., भूमि कब्जे काश्त में है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 3 के पास हिस्सानुसार 2.15 हैक्टे. भूमि पर कब्जा काश्त है। खसरा सं. 133 रकबा 0.03 हैक्टे. गै.मु. कुआं है जो पुराना व सूख गया है तथा बेकार है। संयुक्त रूप से चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 जगमाल ने आज से 13 वर्ष पूर्व थ्री फेज विद्युत कृषि कनेक्शन हेतु फाईल लगाई थी जिसका डिमाण्ड नोटिस आने पर उसमें दिनांक 16.11.22 को पैसा जमा कराया जिस पर विद्युत कर्मचारी लाईट पोल गाढते हुये लाये, अप्रार्थीगण के घर की बाउण्डी के सटवा खसरा सं. 147 जिस पर अप्रार्थीगण ने फसल ढेचा काश्त करके काटी तथा वर्तमान में जौ गेहूं काश्त किये है, उक्त खेत के सडक की साईड में अप्रार्थी सं. 1 का लकडी बडीता, घूडा, पत्थर पटटी भैंसे बांधने के खूटा खनोटा, छान झोपडी आदि है तथा खसरा सं. 146, 147, एवं 148 में फसल ढेंचा बोई व काटी है। उसमें विद्युत ठेकेदार के व्यक्ति लाईट पोल डी.पी. के गाढने लगे तो प्रार्थी और उसके घरवालों ने आकर झगडा व मारपीट की जिसकें बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 201/23 थाना मण्डावर दिनांक 10.07.23 को प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध दर्ज कराई जिसमें थाना मण्डावर ने चार्ज शीट प्रस्तुत कर दी तथा चाराजोही की जा रही है। इस कारण लाईट के दो खम्भे उक्त खसरा सं. 147 में रखे हुये हैं, शेष गढे हुये हैं। विद्युत लाईन खींचना शेष है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने तथा कब्जे काश्त की भूमि के अच्छे फूटस अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं करने देना चाहता है तथा विद्युत कनेक्शन चालू नहीं होने देना चाहता है तथा झूठे मुकदमें में फंसाने की ऐलानिया धमकी देता है। अप्रार्थीगण उसे अपना भाई समझ कर शान्ति चाहते है परन्तु वह दुश्मनों के बहकावे में बर्बाद करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण को बमुकाबले प्रार्थी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में राज्य सरकार

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

द्वारा किया जाना संभव नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पुलिस सहायता व संरक्षण प्रदान करने के आदेश दिये जाकर कृषि विद्युत कनेक्शन चालू कराया जावे।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी व्यादेश पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया तथा तदनुसार निर्णय का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी तथा अन्य दस्तावेज यथा विधुत विभाग के द्वारा जगमाल के नाम जारी डिमाण्ड नोटिस दिनांक 04.10.22, जगमाल द्वारा उक्त डिमाण्ड राशि जमा करने की पावती दिनांक 16.11.22, पुलिस थाना मंडावर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 201/2023 की प्रति का अवलोकन किया गया एवं अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र को निर्णित किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार, ग्राम पाखर तहसील मंडावर में स्थित विवादित आराजीयात प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। सहखातेदारी में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह काश्तकार का समान हिस्सा होता है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान बिना विभाजन हुए यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजीयात में अच्छी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है या कब्ज़ा कर लिया जाता है या प्रार्थी के कब्जे में दखल अन्दाजी की जाती है अथवा आराजीयात का अप्रार्थीगण के द्वारा बेचान किया जाता है तो इससे वाद बहुलता बढ़ना तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है तथा इससे प्रार्थी को भारी असुविधा होगी। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है और मौके की स्थिति में अप्रार्थीगण के द्वारा बदलाव अथवा आराजीयात का बेचान हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी किन्तु यदि अप्रार्थी सं. 1 जगमाल को उसके कब्जे के खेत में विद्युत विभाग के द्वारा लगाये जा रहे कृषि विद्युत कनेक्शन से प्रार्थी के कारण वंचित किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 1 जगमाल को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात के बेचान को रोकने तथा प्रार्थी के कब्जे में दखल को रोकने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है तथा साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 जगमाल के कब्जे की भूमि में कृषि विधुत कनेक्शन होने में किसी बाधा के नहीं करने के लिए प्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पाखर तहसील मंडावर में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 121,122,123,143,149 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 हैक्टे. तथा खाता सं. 348 के खसरा सं. 114 से 120, 124 से 126, 128 से 142, 144 से 148, 150,154, 87 से 90 कुल किता 36 कुल रकबा 9.44 हैक्टे. के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण 1

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

लगायत 4 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 विवादित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जा काश्त में पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करेंगे, प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत नहीं करेंगे तथा विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखेंगे। इसके साथ ही प्रार्थी के विरुद्ध, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 जगमाल के कब्ज़ा काश्त में विद्युत विभाग के द्वारा लगाये जाने वाले कृषि विधुत कनेक्शन में प्रार्थी किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 10.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)